



A 431- I17

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमित प्रदान करने बावत्।

पक्षकार

श्री दिलराज सिंह उम्र 55 वर्ष पिता श्री सुकलाल परस्ते जाति (गौड़ आदिवासी) निवासी—ग्राम देवरीकला, तह. कुण्डम जिला जबलपुर

विरुद्ध

अनावेदक — 1. रवि अग्रवाल पिता स्व. मोतीचंद अग्रवाल (गैर आदिवासी) निवासी 363/9, केंट सदर बाजार, जबलपुर

2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

अपील अंतर्गत घारा 35(4)म.प्र. मू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

- मान्नीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 25/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दि. 09/01/2017 (Innexure.1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(4)के तहत् यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।
 - यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री दिलराज सिंह उम्र 55 वर्ष पिता श्री सुकलाल परस्ते जाति (गौड़ आदिवासी) निवासी—ग्राम देवरीकला, तह. कुण्डम जिला जबलपुर द्वारा ग्राम खूंडा प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 35/2, 82, 78/1 रकवा क्रमशः 1.200, 0.76, 0.39 हेक्टेयर इस प्रकार कुल रकवा 2.35 हेक्टेयर भूमि रवि अग्रवाल पिता स्व. मोतीचंद अग्रवाल (गैर आदिवासी) निवासी 363/9, केंट सदर बाजार, जबलपुर जमीन का विक्रय करने का अनुबंध किया गया है गैर आदिवासी व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमित हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक

25 JAN 2017

AR

AR

MOHAMM

M

2.

परा भामे रवकाः - रा.न.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील ४३१-एक/१७

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	मर्थवाही तथा आदेश	पक्षकारीं एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील क्लेक्टर, जबलपुर	
	द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/अ-21/ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक	
	9-1-17 के विरुद्ध म0प्र0 भू-रानस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे	
	संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है ।	
	2- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार	
	किया गया । यह प्रकरण भूमि विकय की अनुमति से संबंधित है ।	
	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक ९-१-१७ को अपीलार्थी की	
	अनुपरिथति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है ।	
	अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह	
	पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते	
	हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष	
	पर किया जा रहा है ।	
	3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत	
	अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का	
	अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह	
	प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विकय के	
	आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम डुन्डा प.ह.नं.	
	23 (बड्खेरा)रा.नि.मं. इमलई तहसीलकुण्डम जिला जबलपुर स्थित	
	भूमि खसरा नंबर 82 रक्बा 0.760, खसरा नंबर 78/1 रक्बा 0.390	
		l

दिलराजसिंह विरूद्ध विरूद्ध रवि अग्रवाल

स्थान तथा मर्थवाही दिनांक

पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि कं हस्ताक्षर

एवं खसरा नंबर 35/2 रकबा 1.200 हैक्टर को प्रत्यर्थी क्रमांक -1 / गैर आदिम जनजाति सदस्य को विकय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विकय हेत् आवेदित प्रश्नाधीन भूमियां अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमियां है शासन से प्राप्त भूमियां नहीं है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विकय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त ग्राम डूडा, प.ह. नं. 23 बड्खेरा, रा.नि.मं. कुण्डम तहसील कुण्डम जिला जबलपुर में 5.080 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विकय की अनुमति मांगी गई है । प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता हैं कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विकय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 9-1-17 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्य की ग्राम डुन्डा प0ह0नं0 23 (बड़खेरा) रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 82 रक्बा 0.760, खसरा नंबर 78/1 रक्बा 0.390

Refe

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 431-एक/17

जिला - जबलपूर

स्थान तथा दिनांक	मर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के
		हस्ताक्षर
	एवं खसरा नंबर 35/2 रकबा 1.200 हैक्टर की प्रत्यर्थी क्रमांक -1/	
	गैर आदिम जनजाति सदस्य को विकय करने की अनुमति निम्न	
	शर्ती के साथ प्रदान की जाती है ।	
	1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।	
	2- केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी ।	
4	3- उप पंजीयक द्वारा विकयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा ।	
	अपील तद्बुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।	
The	(एम एन ० सिंह) सदस्य,	
·	राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर	